न्यायालय परगनाधिकारी, लखीमपुर जनपद खीरी

वाद सं0 6

अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अधि0
ग्राम-पतरासी परगना-श्रीनगर
तहसील लखीमपुर जिला खीरी।

डा0 भीमराव अम्बेडकर महा0 द्वारा उर्मिला चौधरी बनाम सरकार

आदेश

प्रस्तुत वाद डा0भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय मुराउननगर मजरा पतरासी प्रबन्धक उर्मिला चौधरी पत्नी महेश प्रसाद निवासी खीचमपुरवा मजरा महागज परगना श्रीनगर तहसील लखीमपुर जिला खीरी द्वारा ज0वि0अधि0 की धारा 143 के अन्तर्गत वाद योजित करते हुए कहा है कि वह भूमि स्थित ग्राम पतरासी परगना श्रीनगर के खतौनी सन् फसली 1413 से 1418 फ0 के खाता सं0-375 के गाटा 755/820/1-825हे0 का 1/2 भाग के अंकित संक्रमणीय भूमिधर व काबिज भूमि है। उक्त विवादित भूमि पर प्रार्थिनी विद्यालय खोलना चाहती है। इसी उद्देश्य से क्रय की गयी है। अन्त में प्रार्थिनी द्वारा अपने अंश की भूमि को अकृषक घोषित किये जाने की याचना की है।

विवादित भूमि के सम्बन्ध में तहसील से जाँच आख्या मंगायी गयी। आख्या तहसीलदार लखीमपुर ने ज0वि0अधि0 की धारा 143 नियम 135 के तहत प्रस्तुत करते हुए कहा है कि उक्त विवादित भूमि पर प्रार्थिनी का कब्जा है। विवादित भूमि पर महाविद्यालय खोलना चाहती है। अन्त में विवादित भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर पक्षो को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। उक्त के विरुद्ध कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। प्रार्थिनी द्वारा तहसील आख्यानुसार वाद पत्र को स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है। अतः तहसीलदार की आख्यानुसार मेरा समाधान हो गया है कि प्रश्नगत भूमि कृषि प्रयोजनार्थ प्रयुक्त नहीं की जा रही है, अतः विवादित भूमि को अकृषक घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतएव ग्राम पतरासी परगना श्रीनगर तहसील लखीमपुर जिला खीरी स्थित भूमि खाता सं0-375 के गाटा सं0-755/820/1-825हे0 रकबा 10-50हे0 का 1/2 भाग प्रार्थिनी के हिस्से की भूमि को गैर कृषि प्रयोजनार्थ हेतु अकृषिक घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक, लखीमपुर को भेजी जावे। पत्रावली अमलदरामद जारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

दिनांक-26-10-2009

परगनाधिकारी
लखीमपुर

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित/दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांक-26-10-2009

परगनाधिकारी
लखीमपुर

नकल का आदेश द्वारा प्राप्त दिनांकित 10-1-14

न्यायालय परगनाधिकारी,लखीमपुर,जिला खीरी।

वाद संख्या :- 042

अन्तर्गत धारा 143ज0वि0अधि0
ग्राम- पतरासी परगना श्रीनगर
तहसील लखीमपुर जिला खीरी

प्रबन्धक उर्मिला चौधरी बनाम सरकार

निर्णय

प्रस्तुत वाद डा0 भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय मुरादनगर द्वारा प्रबन्धक श्रीमती उर्मिला चौधरी पत्नी श्री महेश प्रसाद निवासी ग्राम खीचिनपुरवा मजरा बढ़ागांव परगना श्रीनगर तहसील लखीमपुर जिला खीरी द्वारा धारा 143 ज0वि0अधि0 के तहत वाद योजित करते हुए कहा है कि यह भूमि स्थित ग्राम पतरासी परगना श्रीनगर तहसील लखीमपुर जिला खीरी खतौनी सन 1419 फ0 से 1424 फ0 के खाता सं0 123 के गाटा सं0 755/820/1 रकबा 1-074 हे0 लगान 10-50 रू0 का 1/2 भाग अपने हिस्से मेरा रकबा 0-162 हे0 पर बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है,। उक्त भूमि पर महाविद्यालय चल रहा है। इसलिए उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसलिए उक्त भूमि अकृषिक घोषित की जाय।

उक्त भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार से आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार लखीमपुर द्वारा उक्त के सम्बन्ध में आख्या ज0वि0अधि0 की धारा 143 व नियम 135 जे0ए0ए0रूल्स के तहत प्रस्तुत करते हुए कहा है कि उक्त भूमि वादीगण के नाम दर्ज कागजात हैं। उक्त भूमि पर महाविद्यालय चल रहा है, इसलिए उक्त भूमि में कृषि कार्य नही किया जा रहा है ।भूमि अकृषिक है। इसलिए उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया । उक्त के विरूद्ध कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है,वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में जोत चकबन्दी आकार पत्र 45की प्रति दाखिल की गयी है। अतः तहसीलदार की आख्यानुसार मेरा समाधान हो गया है कि प्रश्नगत भूमि कृषि प्रयोजनार्थ प्रयुक्त नहीं हो रही है, और भूमि इतर प्रयोजन हेतु उदघोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतैव भूमि स्थित ग्राम पतरासी परगन श्रीनगर तहसील लखीमपुर जिला खीरी के खतौनी वर्ष 1419 फ0 से 1424 फ0 के खाता संख्या 123 गाटा सं0 755/820/1 रकबा1-074 हे0 लगान 8-00 रू0। 1/2 भाग रकबा0-162 हे0 को गैर कृषि प्रयोजनार्थ अकृषिक घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक लखीमपुर को भेजी जाय।परवाना अमलदरामद जारी हो बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफतर की जाय।

दि0

10/01/14
परगनाधिकारी
लखीमपुर।

आदेश खुले न्यायालय मेंहस्ताक्षरित ,दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

10/01/14
परगनाधिकारी

भूमि अकृषिक घोषित की गयी/...

निरस्त

निरस्त

3/1/14
1/2/14
1/2/14

सत्य प्रतिलिपि

10/1/14